# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–5913/2021**

प्रभात मीणा पुत्र श्री स्व. श्री छाजुराम मीणा निवासी– ग्राम रूपवास तह. जमवारामगढ, जिला जयपुर। (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेपी198417014172)

**–अपीलार्थी**

## बनाम

1. राज्य सरकार जरिये गृह सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर पता– पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, आसूचना विभाग, राजस्थान, जयपुर पता पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
5. अरून कुमार आमलिया पुत्र गोविन्द आमलिया (एस.टी श्रेणी) सीआइडी विशेष, शाखा, पता– जाने युनिट डूंगरपुर जोन, उदयपुर राजस्थान।
6. विनोद मीणा पुत्र गोपालाल (एस.टी श्रेणी) विशेष शाखा (एस.सी.आर.) जयपुर पता– पुलिस मुख्यालय लालकोठी, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 09.11.2021
**आदेश की दिनांक** : 06.12.2022

**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री कृष्णा शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**एम.एस. काला, सदस्य**

## आदेश

1. अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर यह तथ्य अंकित किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति 07.11.1984 को सीआईडी, स्टेट स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल के पद पर हुई। अपीलार्थी को वर्ष 1994–1995 की रिक्ति के विरूद्ध दिनांक 25.05.1994 कास्टेबल से हैड कास्टेबल के पद पर पदोन्नति की गई। वर्ष 2000–01 के वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध दिनांक 29.8.2001 को प्रार्थी को हैड कास्टेबल से

ए.एस.आई. के पद पर पदोन्नति दी गई। बाद में प्रार्थी को दिनांक 15.12.2016 को 2012–13 वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक उपनिरीक्षक से उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.06.2021 को उपनिरीक्षक से निरीक्षक की पदोन्नति हेतु ज्ञापन जारी किया, जिसमें 10 पदों पर योग्यतात्मक परीक्षा आयोजित करने हेतु चयन बोर्ड का गठन किया गया। उक्त विज्ञप्ति के कुल पदों में से 3 पद एसटी श्रेणी तथा 7 पद सामान्य श्रेणी के लिए थे। उक्त विज्ञप्ति के अनुसरण में अपीलार्थी ने अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। योग्यतात्मक परीक्षा की लिखित परीक्षा दिनांक 08.07.2021 आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी सफल घोषित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 09.07.2021 को आउटडोर व साक्षात्कार परीक्षा में भाग लिया, जिसमें उसी दिन मौखिक रूप से अपीलार्थी को आउटडोर व साक्षात्कार में सफल घोषित कर चयन सूची में प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 4 पर दर्शित किया गया तथा मौखिक रूप से अपीलार्थी को सफल घोषित करने की सूचना देते हुए उसका नाम चयन सूची में क्रम संख्या 4 पर होने की जानकारी दी गई किंतु उक्त चयन सूची डी.जी.पी. राजस्थान के पास अवलोकन हेतु भेजी जाने के कारण तत्समय प्रदर्शित नहीं की गई। मात्र मौखिक रूप से उक्त तथ्यों की जानकारी अपीलार्थी व अन्य सफल अभ्यर्थियों को दी गई। अपीलार्थी द्वारा सूचना मांगे जाने पर उसे यह जानकारी दी गई कि चयन बोर्ड द्वारा तैयार की गई कार्यवाही का विवरण मय लिखित परीक्षा एवं आउटडोर परीक्षा की तैयार की गई अनुशुचि इत्यादि का सीलबंद लिफाफा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को प्रेषित किया जा चुका है। दिनांक 03.11.2021 को उपनिरीक्षक से पुलिस निरीक्षक वर्ष 2020–21 के रिक्त पदों की पुर्ति के लिए घठित बोर्ड द्वारा आयोजित योग्यात्मक परीक्षा में सफल एवं योग्य पाये गए व्यक्तियों की चयन सूची जारी की गई, जिसमें मात्र 9 अभ्यर्थियों को चयनित होना दर्शित किया गया और अपीलार्थी का नाम उक्त चयन सूची में बिना किसी विधिक कारण के दर्शित नहीं किया गया। अपीलार्थी को निरीक्षक के पद पर पदोन्नति नहीं दिये जाने के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है एवं निम्न प्रकार से अनुतोष की मांग की है :–

''अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.11.2021 संशोधित किया जाकर प्रार्थी को एस.टी. श्रेणी में उपनिरीक्षक से निरीक्षक (इंटेलीजेंस) वर्ष 2020–21 के पद पर पदोन्नत किये जाने व संपूर्ण परिलाभ तदनुसार दिये जाने की आज्ञा सादिर फरमावे तथा प्रार्थी अपीलार्थी को अपील के लंबित रहने की अवधि के दौरान प्रोविजनल उपनिरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देते हुये पी.सी.सी. में शामिल करने हेतु उत्तरदातागण को निर्देशित किया जावें तथा तब तक चयन सूची दिनांक 03. 11.2021 की क्रियान्विति को स्टे फरमाये जाने की आज्ञा सादिर फरमावे।'' अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को चयनित नहीं किये जाने का यह कारण बताया गया है कि उसके तीसरे पुत्र संतान हंसराज का जन्म 22.07.2006 को हुआ, इस कारण उसको निरीक्षक के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है। पूर्व में अपीलार्थी को वर्ष 2006 से 2011 तक पदोन्नति की भर्ती प्रक्रिया से इसलिये बाहर रखा गया था क्योंकि उसके तीसरी पुत्र संतान हंसराज का जन्म दिनांक 22.07.2006 को हुआ, इस तथ्य की पुष्टि विभागीय पत्रावली की नोट शीट में उपलब्ध तथ्यों से होती है। ऐसी स्थिति में एक ही आधार (तीसरी संतान उत्पति का आधार) प्रार्थी को दो बार नियमित पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः तीसरी संतान उत्पति के कारण प्रार्थी योग्य होने के बावजूद वर्ष 2006 से 2011 तक पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर रखा गया, ऐसी स्थिति में उसे दुबारा निरीक्षक की पदोन्नति के हर से वंचित नहीं किया जा सकता है।

2. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को दिनांक 29.01.2001 को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई जिनके दिनांक 22.07.2006 को छठी संतान होने के कारण दो से अधिक संतानों (इकाई)में वृद्धि होने पर पर दिनांक 22.07.2006 से पांच वर्ष, वर्ष 2011–12 तक की उप निरीक्षक पद की योग्यात्मक परीक्षा से डिबार किये जाने हेतु सक्षम स्तर से पत्रावली पर निर्णय लिया गया था। इस संबंध में अलग से कोई डिबार किये जाने संबंधी आदेश प्रसारित नहीं किये गये थे। अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 में उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। यह भी अंकित किया है कि महानिरीक्षक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड,

राजस्थान जयपुर के पत्रांक 466 दिनांक 09.06.2022 के द्वारा श्री प्रभात मीणा, उप निरीक्षक आई.बी. द्वारा प्रथम बार सहायक उप निरीक्षक पुलिस से उप निरीक्षक पुलिस पद की योग्यात्मक परीक्षा हेतु आवेदन वर्ष 2011–12 में किये जाने पर वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक 5 वर्ष के लिए डिबार किया जाना चाहिए था, परंतु इन्हें इनके दिनांक 31.05.2006 के पश्चात जन्मी संतान की जन्म दिनांक 22.06.2006 से वर्ष 2011–12 तक के लिए डिबार किया गया है, जो नियमानुसार उचित नहीं है। उक्त उप निरीक्षक को पुलिस निरीक्षक पद वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती है।

3. हमारे द्वारा दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि पूर्व में उसे सहायक उपनिरीक्षक से निरीक्षक के पद के लिए जब पदोन्नति दी गई थी, उस समय उसे 2006 से 2011 तक पदोन्नति की प्रक्रिया से बाहर रखा गया तथा 2012–13 की रिक्तियों के लिए उसे उप निरीक्षक पद के लिए पात्र माना गया था। इस प्रकार तीसरी संतान उत्पत्ति के आधार पर अपीलार्थी को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 5 वर्ष तक वंचित रखा जा चुका है। अब पुनः उसी आधार पर उप निरीक्षक से निरीक्षक के लिए भर्ती प्रक्रिया में भी वंचित रखा जा रहा है, जो उचित नहीं है। इसके विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में जो वर्ष 2011–12 तक के लिए डिबार किया गया था, वो नियमानुसार नहीं किया गया था, इसलिए अब उसे वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के लिए पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों से यह स्पष्ट है कि पूर्व में अपीलार्थी को 5 वर्ष के लिए पदोन्नति के लिए डिबार किया जा चुका है। प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि अपीलार्थी को 2011–12 से 2015–16 तक 5 वर्ष के लिए डिबार किया जाना चाहिए था, परंतु उन्हें संतान के जन्म से 5 वर्ष तक के लिए किया गया ,जो नियमानुसार नहीं था। पत्रावली में जो तथ्य प्रकट किये गए है, उनसे प्रकट होता है कि अपीलार्थी को वर्ष 2006 से 2011 तक पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर रखा जा चुका है। ऐसे में पूर्व में 5 वर्ष तक के लिए डीबार किया जाने का नियम अपीलार्थी पर लागू किया जा चुका है। अतः हमारे मत में अब पुनः उसे नियम के तहत अपीलार्थी को दुबारा पदोन्नति के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता। अतः अपीलार्थी को वर्तमान में वर्ष

2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित योग्यात्मक परीक्षा, जो उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद के लिए आयोजित की गई थी, उसके लिए अयोग्य माना जाना उचित नहीं है।

4. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी योग्यात्मक परीक्षा में शामिल हो चुका है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी का परिणाम घोषित करें एवं अपीलार्थी चयन प्रक्रिया में योग्य पाया गया है तो उसे पदोन्नति का लाभ उसी प्रकार दें, जैसे अन्य योग्य अभ्यर्थियों को दिया गया है।

**(एम.एस. काला)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**